पत्र सं०–6 एस०एस०(11)01/2018-2782/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

केशवेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पटना–15, दिनांक– 06/10/2021.

XX

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग पदों का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1283, दिनांक–14.05.2020 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग प्रदों का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–क, ख एवं ग संलग्न।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन का त्वरित गति से विकास आवश्यक है। इसके लिए मत्स्य तकनीक से संबंधित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्रयोगशाला से सरजमीन पर उतारने हेतु डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर में उपलब्ध संरचनाओं एवं भूखंड पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना की गई है तथा इस महाविद्यालय को कार्यरूप देने के लिए अकादमिक–प्रशासनिक पद एवं सपोर्टिंग स्टाफ के पद सहित 270 नये पदों का सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018–19 में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय मूल राज्यादेश संख्या–1954, दिनांक–19.06.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि इस महाविद्यालय के द्वारा उच्च कोटि का मत्स्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा सके। सृजित एवं स्वीकृत पदों का वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित विवरण निम्न प्रकार है :–

Sl. No.	Designation	No. of Proposed Post	Pay Scale and Grad pay/Pay Band
ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS			
1	Dean	01	37400-67000 + 10000 (GP) UGC/PB-4
2	Professor	15	37400-67000 + 10000 (GP)
3	Associate Professor	27	37400-67000 + 9000 (GP)
4	Assistant Professor	42	15600-39100 + 6000 (GP)
	Total :-	85	
	NON TEACHING & SUPPORTING STAFF		
5	Assistant Engineer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
6	Student Welfare Officer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
7	Assistant Librarian	1	15600-39100 + 6000 (GP)
8	Medical Officer	1	15600-39100 + 5400 (GP)
9	Assistant Comptroller	1	15600-39100 + 5400 (GP)
10	PS to Dean	1	9300-34800 + 4800 (GP)
11	Junior Engineer	1	9300-34800 + 4600 (GP)
12	Accountant	2	9300-34800 + 4600 (GP)
13	Multi Task Office Assistant	24	9300-34800 + 4200 (GP)
14	Library Assistant	1	9300-34800 + 4200 (GP)
15	Farm Manager	1	9300-34800 + 4200 (GP)
16	Hatchery Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
17	IT Technician-cum-Website Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
18	Lab Equipment Maintenance Technician	1	5200-20200 + 4200 (GP)
19	Wet Lab Supervisor	2	5200-20200 + 4200 (GP)
20	Cashier	1	5200-20200 + 2800 (GP)
21	Livestock/Farm/Lab Assistant	24	5200-20200 + 1900 (GP)
22	Audio Visual Technician-cum-Photographer	1	5200-20200 + 2400 (GP)
23	Physical Traning Instructor (PTI)-cum-Hostel Care Taker	4	5200-20200 + 2400 (GP)
24	Plumber	2	5200-20200 + 2000 (GP)
25	Medical Lab Attendant	3	5200-20200 + 2000 (GP)
26	Carpenter	2	5200-20200 + 2000 (GP)
27	Clerk-cum-Storekeeper	3	5200-20200 + 1900 (GP)
28	Electrician	3	5200-20200 + 1900 (GP)
29	Compounder	1	5200-20200 + 1900 (GP)
30	Driver	6	5200-20200 + 1900 (GP)
31	Lab. Attendant	12	5200-20200 + 1900 (GP)
32	Pump Operator	3	5200-20200 + 1900 (GP)
33	Library Attendant	2	5200-20200 + 1800 (GP)
34	Security Guard	16	5200-20200 + 1800 (GP)
35	Multi Tasking Staff	50	5200-20200 + 1800 (GP)
36	Fisherman	10	5200-20200 + 1800 (GP)
	Total:- Non Teaching & Supporting Staff	**185**	
	Grand Total :-	**270**	

3. वर्त्तमान में पशु विज्ञान, गव्य तकनीकी, मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुये थे जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन डा० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरचनाओं यथा अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन, होस्टल, छात्रावास भवन, आवासीय भवन एवं फार्म भवन तथा इसके अतिरिक्त तालाब के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये भुमि पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज को कृषि विभाग द्वारा अंतरित की गई है जिसमें मत्स्य से संबंधित तकनीक का राज्य में विस्तार एवं प्रसार इस महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु

राज्य में स्थापित **"बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना"** के अधीन डा० कलाम, कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में **"मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज"** की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है।

4. मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज राज्य में मत्स्य विज्ञान से संबंधित शिक्षा अनुसंधान, विस्तार एवं प्रसार आदि का कार्य करेंगा ताकि राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित सहबद्ध विज्ञान का विकास हो सके। यह महाविद्यालय "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना" का अंगीभूत अंग है।

5. वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत निम्नांकित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यय का विकलन किया जायेगा :–

   (i) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–277 –शिक्षा, मांग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415032770101.

   (ii) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037890101 एवं

   (iii) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037960101.के तहत विभिन्न विषय शीर्षों यथा विषय शीर्ष– 0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन, विषय शीर्ष–0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष–0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव होंगे।

7. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को निदेशक, पशुपालन द्वारा बी०टी०सी० फार्म–42 पर राशि की निकासी कर एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा अथवा आर०टी०जी०एस० के माध्यम से राशि को विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया जायेगा ताकि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज पर व्यय किया जा सके।

8. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि प्राप्त राशि का उपयोग मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना, आधारभूत संरचना एवं अन्य विविध कार्यों पर व्यय कर महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा तथा उपयोगिता प्रामण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अंदर निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

9. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज हेतु उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोग कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति पर किया जा रहा है अथवा नहीं इसका अनुश्रवण कर विभाग को वस्तुस्थिति से प्रत्येक माह मंतव्य के साथ अनुश्रवण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

10. वर्ष 2018–19 में इस योजना को मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–29.05.2018 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–02 के रूप में सम्मलित करते हुये इस स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात् मूल राज्यादेश संख्या–1819, दिनांक–19.06.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त मूल राज्यादेश के क्रम में वर्ष 2020–21 में इस स्कीम की स्वीकृति 1283, दिनांक–14.05.2020 द्वारा इस योजना को चालू मानते हुये अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी। फलस्वरूप यह योजना एक चालू योजना है। इसलिए विहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली के नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के नियम–क, उप नियम–4 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(11)01/2018 के पृष्ठ–60/टि०, दिनांक–20.09.2021.

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(11)01/2018 के पृष्ठ–61/टि० तथा डायरी संख्या–348, दिनांक–04.10.2021.

12. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

06/10/2021

(केशवेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

4 E\Sanjay Kumar,Yojna.\21-22\Govt Order, 6 S S(11)01/18\11-08-2021.

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018— 2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018— 2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक—29.05.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या—02 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018— 2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018— 2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018—2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालनय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(11)01/2018— 2782/पटना—15, दिनांकः— 06/10/2021.

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलाधिपति के प्रधान सचिव/सभी आयोग के सचिव/विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(11)01/2018– 2782 /पटना–15, दिनांकः– 06/10 /2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(11)01/2018– 2782 /पटना–15, दिनांकः– 06/10 /2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(11)01/2018– 2782 /पटना–15, दिनांकः– 06/10 /2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अप–लोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–क

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यो पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2415032770101 (राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन	2.00	सचिव / प्रधान सचिव, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना
2.	0101.31.05 –सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण	3.20		
3.	0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैरवेतन	3.20		
	योग :–	8.40		

कुल (रुपये आठ करोड़ चालीस लाख) मात्र।

2782
06/10/2021

सरकार के विशेष सचिव
06/10/21

व्यय विवरणी–ख

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यो पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2415037890101 (राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन	0.28	सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना
2.	0101.31.05 –सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण	0.56		
3.	0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैरवेतन	0.56		
	योग :–	1.40		

कुल (रुपये एक करोड़ चालीस लाख) मात्र।

27782
06/10/2021

06/10/2021
सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी—ग

वित्तीय वर्ष 2021—22 में राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :—

विपत्र कोड 02—2415037960101 (राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 —सहायक अनुदान—वेतन	0.04	सचिव / प्रधान सचिव, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना
2.	0101.31.05 —सहायक अनुदान—परिसम्पत्तियों का निर्माण	0.08		
3.	0101.31.06 —सहायक अनुदान—गैरवेतन	0.08		
	योग :—	**0.20**		

कुल (रुपये बीस लाख) मात्र।

क्र०सं०	व्यय का शारांश	(राशि करोड़ में)
(1)	व्यय विवरणी—क	8.4
(2)	व्यय विवरणी—ख	1.40
(3)	व्यय विवरणी—ग	0.2
	योग :—	**10.00**

कुल (रुपये दस करोड़) मात्र।

2782/ 06/10/2021

06/10/2021
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 8 बजट (1) 22/2021......501/70/आ० दिनांक -12/03/2022

प्रेषक,

निदेशक, पशुपालन।

बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2021—22 में मांग संख्या—02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 277— शिक्षा, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02— 2415032770101, बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 789— अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02—2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 796— जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड— 02—2415037960101 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 3,50,00,000/— (तीन करोड़ पचास लाख) मात्र का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2782 दिनांक 06.10.2021 के आलोक में तथा आवंटनादेश संख्या 34 (नि०) आ०, दिनांक 24.01.2022 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 3,50,00,000/— (तीन करोड़ पचास लाख) मात्र आवंटित किये जाते है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में मांग संख्या—02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 277— शिक्षा, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02— 2415032770101, बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 789— अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड— 02—2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 796— जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड— 02—2415037960101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग पदों का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यो पर होने वाले व्यय की योजना के लिये दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 345/वि०, दिनांक 25.03.2021 एवं पत्रांक 1101/वि०, दिनांक 15.02.2022 के आलोक में राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(क) वेतन—भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग —1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2022 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक पशुपालन।

ज्ञाप सं0– 8 बजट (1) 22/ 2021......50 (प्रा०)..... आ०/ पटना–15, दिनांक 12 / 03 /2022

प्रतिलिपि– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 –57–96–97 प0पा0 –9 –46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/ उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट –3909 वि0 (2)दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा–09, योजना शाखा–06 एवं 10 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

विभागीय राज्यादेश संख्या 2782 दिनांक 06.10.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 277– शिक्षा, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड–02– 2415032770101, बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड– 02–2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 796– जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड–02–2415037960101 के अन्तर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग पदों का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की योजना पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु आवंटन की विवरणी :–

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष									कुल आवंटित राशि		
		0101.31.04–सहायक अनुदान–वेतन			0101. 31.05– सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण			0101. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन					
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02–2415032770101 (सामान्य घटक)	13000000	7000000	20000000	20800000	11200000	32000000	20800000	11200000	32000000	54600000	29400000	~~84000000~~ 61600000
2	02–2415037890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1820000	980000	2800000	3640000	1960000	5600000	3640000	1960000	5600000	9100000	4900000	14000000
3	02–2415037960101 (जनजातीय क्षेत्र उप योजना)	260000	140000	400000	520000	280000	800000	520000	280000	800000	1300000	700000	2000000
										कुल योग :–	65000000	35000000	~~100000000~~ 77600000
₹ 3,50,00,000/– (तीन करोड पचास लाख) मात्र।													

निदेशक, पशुपालन।